

# झारखण्ड विधान सभा

## कार्य सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

02 अगस्त, 2024(ई०)

शुक्रवार, तिथि

[सप्तदश(मानसून)सत्र]

11 श्रावण, 1946(श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

### प्रारम्भिक-कार्य

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उस पर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)- श्री मथुरा प्रसाद महतो, स०वि०स० एवं श्रीमती सविता महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण -सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक-29-07-24, 30-07-24, 31-07-24 एवं 01-08-2024 से स्थगित)
- (05)- डॉ० लम्बोदर महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक-29-07-24, 30-07-24, 31-07-24 एवं 01-08-2024 से स्थगित)
- (06)- श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक-30-07-24, 31-07-24 एवं 01-08-2024 से स्थगित)
- (07)- श्री बिरंची नारायण एवं श्री नारायण दास, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक-30-07-24, 31-07-24 एवं 01-08-2024 से स्थगित)
- (08)- श्री सुदिव्य कुमार, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वित्त विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक-30-07-24, 31-07-24 एवं 01-08-2024 से स्थगित)



(09)- श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह एवं श्री नवीन जयसवाल, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-30-07-24, 31-07-24 एवं 01-08-2024 से स्थगित)

(10)- सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-30-07-24, 31-07-24 एवं 01-08-2024 से स्थगित)

(11)- श्री राज सिन्हा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-31-07-24 एवं 01-08-2024 से स्थगित)

(12)- श्री सरयू राय, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-31-07-24 एवं 01-08-2024 से स्थगित)

(13)- श्री संजीव सरदार, स०वि०स० एवं श्री निरल पुरती, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-31-07-24 एवं 01-08-2024 से स्थगित)

(14)- सर्वश्री राजेश कच्छप, मथुरा प्रसाद महतो एवं श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-31-07-24 एवं 01-08-2024 से स्थगित)

(15)- श्री अमित कुमार यादव, स०वि०स० एवं डॉ० लम्बोदर महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-31-07-24 एवं 01-08-2024 से स्थगित)

(16)- श्री बिनोद कुमार सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-01-08-2024 से स्थगित)

(17)- श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, स०वि०स० एवं श्री सुदिव्य कुमार, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-01-08-2024 से स्थगित)

(18)- सर्वश्री कोचे मुण्डा, नीलकंठ सिंह मुण्डा एवं श्री केदार हजरा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-01-08-2024 से स्थगित)



(19)- श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,स०वि०स०, श्री राजेश कच्चुप,स०वि०स० एवं श्रीमती शिल्पी नेहा तिकी,स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-01-08-2024 से स्थगित)

(20)-श्री अमित कुमार मण्डल,स०वि०स० एवं श्री नारायण दास,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-01-08-2024 से स्थगित)

(21)- श्री मथुरा प्रसाद महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पर्यटन,कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(22)-श्री रामचन्द्र सिंह ,स०वि०स० एवं श्री सोनाराम सिंक्, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वित्त विभाग)की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

(23)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(24)-प्रभारी वित्त मंत्री, डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में, मैं “भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखण्ड राज्य का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा (राजस्व) से संबंधित प्रतिवेदन” “भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखण्ड राज्य का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष का अनुपालन लेखा परीक्षा से संबंधित प्रतिवेदन” “भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2022 के समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड में शहरी, स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रतिवेदन” एवं“भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखण्ड राज्य का 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखा परीक्षा से संबंधित प्रतिवेदन” जिसे विधान सभा के सक्षम रखने हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने महामहिम राज्यपाल महोदय के पास भेजा है को सदन पटल पर रखता हूँ। इस क्रम में प्रभारी वित्त मंत्री पुनः प्रस्ताव करेंगे कि विधान-सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उन पर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किए जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।

(25)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(26)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

**-: औपचारिक कार्य:-**

- (27)- प्रवर समिति के सभापति श्री चम्पाई सोरेन, उच्च,तकनीकी शिक्षा विभाग "इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक,2024" पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करेंगे।

**-: विधायी-कार्य :-**

**"झारखण्ड अग्निशमन सेवा विधेयक,2024"**

- (28)- मुख्यमंत्री( प्रभारी, गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) श्री हेमन्त सोरेन प्रस्ताव करेंगे कि"झारखण्ड अग्निशमन सेवा विधेयक,2024"को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (29)- मुख्यमंत्री( प्रभारी, गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (30)- मुख्यमंत्री( प्रभारी, गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि"झारखण्ड अग्निशमन सेवा विधेयक,2024" पर विचार हो।
- (31)- मुख्यमंत्री( प्रभारी, गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि"झारखण्ड अग्निशमन सेवा विधेयक,2024" स्वीकृत हो।

**"झारखण्ड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ विधेयक,2024"**

- (32)- मुख्यमंत्री( प्रभारी, गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) श्री हेमन्त सोरेन प्रस्ताव करेंगे कि"झारखण्ड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ विधेयक,2024"को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (33)- मुख्यमंत्री( प्रभारी, गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (34)- मुख्यमंत्री( प्रभारी, गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि"झारखण्ड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ विधेयक,2024"पर विचार हो।
- (35)- मुख्यमंत्री( प्रभारी, गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि"झारखण्ड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ विधेयक, 2024" स्वीकृत हो।

**"झारखण्ड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक,2024"**

- (36)- मुख्यमंत्री (प्रभारी, खनन् एवं भूतत्व विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि"झारखण्ड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक,2024"को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (37)- मुख्यमंत्री (प्रभारी, खनन् एवं भूतत्व विभाग)श्री हेमन्त सोरेन, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (38)- मुख्यमंत्री (प्रभारी, खनन् एवं भूतत्व विभाग) श्री हेमन्त सोरेन,प्रस्ताव करेंगे कि"झारखण्ड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक,2024"पर विचार हो।



(39)- मुख्यमंत्री (प्रभारी, खनन एवं भूतत्व विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक, 2024" स्वीकृत हो।

"झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2024"

(40)-मंत्री प्रभारी (उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग) श्री चम्पाई सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2024" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(41)-मंत्री प्रभारी (उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग) श्री चम्पाई सोरेन, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(42)-मंत्री प्रभारी (उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग) श्री चम्पाई सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2024" पर विचार हो।

(43)-मंत्री प्रभारी (उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग) श्री चम्पाई सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2024" स्वीकृत हो।

नोट:- विधेयकों के संबंध में प्राप्त संशोधन प्रस्ताव की सूचनार्थें अलग से परिचारित की जा रही हैं।

-: गैर-सरकारी संकल्प :-

(44)-लोकहित के विषयों पर गैर-सरकारी संकल्प।

(संकल्प की सूची अलग से वितरित की जा रही है।)

-: प्रश्नों के संबंध में विवरण :-

(45)- वर्तमान सत्र में प्राप्त प्रश्नों के विवरण का सभा नेता द्वारा पढ़ा जाना।

(46)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

(47)- अध्यक्ष का समापन भाषण।


सैयद जावेद हैदर

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-13/2024-3549/वि०स०, राँची, दिनांक-.....01/08/24.....

प्रतिलिपि:-माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ माननीय नेता प्रतिपक्ष /सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/महासचिव लोकसभा, नई दिल्ली/महासचिव राज्य सभा, नई दिल्ली/ झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
01/08/2024.

(हरेन्द्र कुमार साह)


उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कू०पू०३०.....०६

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-13/2024-<sup>3549</sup>...../वि०स०,राँची,दिनांक-.....०१/०८/२४.....

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।


  
०१/०८/२४

(हरेन्द्र कुमार साह)  
उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-13/2024-<sup>3549</sup>...../वि०स०,राँची,दिनांक-.....०१/०८/२४.....


प्रतिलिपि:-झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/ पुस्तकालय शाखा ,जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
०१/०८/२०२४

गोपी कृष्णा/

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

  
०१/०८/२४